नक्सलवादी आन्दोलन और आन्तरिक सुरक्षा

डॉ0 राम कृष्ण सिंह*

21वीं शदी में नक्सलवादी आन्दोलन भारतीय सुरक्षा के लिए एक प्रमुख चुनौती है, जिसका समाधान निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है। नक्सलवाद भारत के समस्त आन्तरिक मूल्यों को क्षत–विक्षत कर दिया है। यह देश की एकता, अखण्डता एवं सुरक्षा को दाँव पर लगा दिया है। देश में व्याप्त गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, भष्टाचार, क्षेत्रीयता, अशिक्षा, राजनीतिक अस्थिरता कुशासन, पक्षपात आदि इस समस्या को जन्म देने के प्रमुख कारण रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे भारत की प्रमुख आन्तरिक सुरक्षा समस्या माना। वर्तमान समय में भारत के 220 जिले 20 राज्य नक्सलवाद से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, अगर समय रहतें इसका तात्कालिक एवं दीर्घकालिक समाधान नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब सम्पूर्ण भारत इससे प्रभावित होगा।

जहाँ तक भारत में नक्सलवाद के उदय का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि भारत के पश्चिम बंगाल क सिलीगुड़ी जिले के एक गाँव नक्सलवाडी में 25 मई सन् 1967 ई0 को इन गाँव के दो नेताओं चारू मजूमदार और कानूसान्याल के नेतृत्व में नक्सलवाद का जन्म हुआ। नक्सलवाद के उदय में मूल रूप से बड़े जमीदारों द्वारा छोटे किसानों का भीषण उत्पीड़न एवं सरकार की उपेक्षा थी। कानूसान्याल एवं चारू मजूमदार के बीच सन् 1969 में मतभेद होने के कारण सी0पी0आई0 (एम0एन0) नामक नया गुट तैयार हो गया जिसमें मार्क्स एवं लेनिन दोनों की विचारधारा को मानने वाले सम्मलित थे। पुलिस हिरासत सन् 1972 में चारू मजूमदार की मृत्यु के पाश्चात् सत्यनारायण सिंह रेड्डी के नेतृत्व में नक्सलवाद को नई दिशा दी गयी।

नक्सलवाद माओं की विचारधारा ''राजनीतिक शक्ति बन्दूक की नली से निकलती है'' पर आधारित है। भारत के लगभग 20 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है। पशुपति से लेकर तिरूपति तक एक लाल गलियार का प्रभाव पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर–प्रदेश आदि राज्यों तक है। नक्सलवादियों के साहित्य से स्पष्ट होता है कि इसके प्रचार–प्रसार में वाह्य शक्तियों की भूमिका परोक्ष रूप से है। नक्सलवादी संगठन भारत में 2050 तक यहाँ से लोकतन्त्र को उखाड़कर देश में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने की महत्वाकांक्षा पाले है। गृह मंत्रालय की एक रिर्पोट के अनुसार नक्सलवाद का प्रभाव भारत के 220 जिलों तक प्रसारित हो चुका है जिसमें 70 जिले गंभीर रूप से प्रभावित है जबकि 70 में 40 जिलें अति संवेदनशील है। इसका प्रभाव देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 35 प्रतिशत हिस्सों में है। 9200 वर्ग किमी0 के विशेष क्षेत्र (जिसे नक्सली रेडु कोरीड़ोर कहते है) में नक्सली गति विधियाँ ज्यादा है।

नक्सल समस्या से निपटना जब सरकारों के बूते के बाहर की बात हो गयी, तो फिर केन्द्रीय सुरक्षा बलों को राज्य सरकारों की मदद के लिए भेजा गया, लेकिन केन्द्रीय सुरक्षा बलों की प्रमुख समस्या यह है कि जिन राज्यों एवं आदिवादी क्षेत्रों, जंगलों और ऊवड़–खाबड़ भौगोलिक परिस्थितियों में उन्हें ड्यूटी पर भेजा जाता है, वहाँ के विषय में उन्हें जानकारी नहीं होती है। उड़ीसा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, के नक्सल प्रभावित इलाके में जहॉ पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों का राज्य पुलिस व वाहनो को वारूदी सुरंगो से उड़ाया गया उसकी जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं थी। इसमें यह बात सामने आयी कि सुरक्षा बलों को शहरी इलाकों में कार्यवाही करने का अनुभव था लेकिन जंगल, आदिवासी क्षेत्रों में भूमिगत संगठनों एवं हथियारबन्द गुटों के बारे में जानकारी करना कठिन चुनौती थी। केन्द्रीय सुरक्षा बल एवं केन्द्रीय गुप्तचर सुरक्षा एजेन्सियाँ स्थानीय भाषाओं, बोलियों एवं भौगोलिक परिस्थीति से अपरिचित होती है, जिससे नक्सलवादी संगठनो पर कार्यवाही करना कठिन होता है नक्सलवादी संगठन इसका फायदा उठाकर सुरक्षा बलों पर घातक हमले करने मे सफल हो जाते है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तार–तार कर देते है।

प्रश्न उठता है कि भारत में नक्सलवाद क्यों फैलता जा रहा है? नक्सलवाद के उदय में मूल रूप से सरकारें ही जिम्मेदार है। योजना आयोग ने डॉ0 वंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में नक्सलवाद की समस्या के समाधान के लिए एक समीति गठित की थी। 2008 में समीति ने अपनी रिर्पोट दी। इस समीति में यह उलेख किया कि गया कि किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से आदिवासी व दलित

* एसोसिएट प्रोफेसर : रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग, श्री गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोभी, जौनपुर

समाज पीड़ित है। नक्सलवादी उनकी समस्याओं को तत्काल समाधान करने की कोशिश करते है, इस प्रकार वे कम समय में उनका विश्वास प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सरकार उनकी समस्याओं के प्रति हमेशा उपेक्षा का भाव रखती है और नक्सलवाद के समाधान के लिए सही प्रयास नहीं करती है इस रिपोर्ट मे यह कहा गया है कि नक्सलवाद का गरीबी और शोषण से सीधा सम्बन्ध है। देश में विकास अवश्य होना चाहिए लेकिन गरीब, किसानों और आदिवासियों के जीवन मूल्य पर होने वाला विकास समस्याओं का जन्म देता है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहले ये लोग शांन्तिपूर्वक तरीके अपनाते है लेकिन जब समस्या का शांतिपूर्वक समाधान नहीं होता है तो ये लोग नक्सलवाद के माध्यम से हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जिससे सरकार पर दबाव बनाकर अपनी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

भूमण्डलीकरण के इस दौर में नक्सलवादी आन्दोलन अभी और गहरा होगा। आजादी के सत्तर साल से अधिक हो गये किन्तु लाखों–करोड़ो लोगों के लिए रोटियाँ अभी भी दुर्लभ है। आज भी मुट्ठी भर लोग ही संसाधनों पर काबिज है और सरकार भी उनकी सहायता कर रही है। सामाजिक, आर्थिक एवं विधिक व्यवस्था में गड़बड़ी है ऐसे में नक्सलवादी आन्दोलनकारियों का उठ खड़ा होना स्वाभाविक है। आज राजनितिक दलों पर से लोगों का विश्वास उठ गया है, क्योंकि राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस समस्या को सुलझाने के बजाय और उलझा देते है, जिससे यह समस्या निरन्तर विकराल रूप लेती जा रही है। नक्सलवाद से जुड़े साहित्यों एवं घटनाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसके पनपने में कुछ मुख्य करण विद्यमान है जो निम्नवत है–

(1) नक्सलवाद कमजोर वर्ग एवं उपेक्षित वर्ग द्वारा चलाया जा रहा आन्दोलन है।

(2) नक्सलवाद का प्रभाव मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में है जहॉ के लोग सामाजिक असमनता, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं और वे देश के विकास की मुख्य धारा से अलग–थलग है। भारत में नक्सलवादी आन्दोलन को समाप्त करने के लिए सरकार को तात्कालिक एवं दीर्घकालिक उपायों को प्रयोग में लाना होगा तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

तात्कालिक उपाय के तहत सरकार को यह चाहिए कि वह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था स्थापित करके नक्सलियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करे जिससे तात्कालिक रूप से शान्ति स्थापित हो सके। हमारे देश में कानूनी प्रक्रिया इतनी पेचेदी है कि जब तक उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाता है तब तक नक्सली अपनी हिसांत्मक गतिविधियों को अंजाम दे चुके होते है। इससे नक्सली आन्दोलनकारियों का मनोबल बढ़ जाता है और वे जनता का विश्वास प्राप्त करने में भी सफल हो जाते है, ऐसी स्थिति से सरकार तभी निपट सकती है जब कानून को सही तरीके से और तत्वरित लागू किया जाय।

नक्सलवादी आन्दोलन को केवल तत्कालिक उपाय से समाधान नहीं किया जा सकता है, इसलिए सरकार को तत्कालिक उपाय के साथ–साथ दीर्घकालिक उपाय का सहारा लेना चाहिए। दीर्घकालिक उपाय के लिए यह जरूरी है कि प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक विषमता, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी को दूर करने का सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए और प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना सड़क, परिवहन, पेयजल, उद्योगधन्धो की स्थापना की जानी चाहिए। नक्सली संगठनों से शांन्ति पूर्ण वार्ता के माध्यम से समस्या का स्थाई समाधन खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि नक्सली कोई और नहीं वरन् हमारे समाज के उपेक्षित एवं पथ से भटके लोग है। यदि उनकी समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान किया जाय तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।

सन्दर्भ

1. सान्याल कानू ''रिर्पोट अन पेजेन्ट स्ट्रगल आदी तराई रीजन'' लिबरेशन, 31 अक्टुबर 1968
2. सत्यनाराण के ' अपने दुश्मनों को पहचानों ''रत्ना आफसेट्स लिमिटेड वाराणसी –2003 प्र0स0 12
3. गुप्ता विरलवदास ' नक्सलवादी आन्दोलन' मैकमिलन प्रकाशन नई दिल्ली 1981 पृष्ठ संख्या 22
4. राय, डॉ0 धनश्याम '' नक्सलवादी आन्दोलन में महिलाएँ प्राच्य प्रकाशन पटना 2009 पृष्ठ संख्या 20
5. मिश्रा, शंकर ''नक्सलीवादी संस्मरण''लिवरेशन सी0पी0आई (एम0एल0) के मुख्य पत्र में प्रकाशित, कलकत्ता जनू 1995 ई0 संख्या 22
6. सिंह कुमार नरेन्द्र ''पशुपति से तिरूपति लाल गरिमारे का लावा इन्डिया भूज 16–22 जून 2007 पृष्ठ संख्या 35–36

●